उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 4887/18 दिनांक 29/6/18

सेवा में,

प्रबन्धक

समस्त स्नातक स्तरीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र/
स्नातक स्तरीय पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषयः बैक गारन्टी जमा करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/96/05 दिनॉक 14 अक्टूबर, 2005 के क्रम में जिन स्नातक स्तरीय नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्रों को वर्ष 2015 से संचालित करने की उ0प्र0 शासन से अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है, उन सभी संस्थानों को ₹ 40 लाख (चालीस लाख रूपया) की बैंक गारन्टी उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

जिन संस्थानों द्वारा वर्तमान में स्नातक स्तरीय नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है, उन्होंने बैंक गारन्टी शासन को प्रस्तुत की है, की प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ज्ञातब्य हो कि वर्ष 2014 से पूर्व विश्वविद्यालयों की संस्तुति पर उ0प्र0 शासन द्वारा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता विस्तारण किया जाता था, तत्समय शासन द्वारा ₹ 40 लाख (चालीस लाख रूपया) की बैंक गारन्टी के बिना सम्बद्धता विस्तारण नहीं किया जाता था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को सम्बद्धता विस्तारण हेतु शासन के परिधि से पृथक कर दिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश दिनॉक 14 अक्ब्टूबर, 2005 की मूल शर्तो के अनुसार बैंक गारन्टी का नवीनीकरण इस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा आपके प्रशिक्षण केन्द्र में चल रहे स्नातक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण किया जाना संभव नहीं होगा तथा वर्तमान सत्र् 2018–19 के प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।